

भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

सं.1501/47/2009-टीवी(I)

दिनांक 15.12.2009

आदेश

प्रसारणकर्ताओं को अपनी विषय-वस्तु हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) सेवा प्रदाताओं को प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए टीवी चैनलों को डाऊनलिक करने संबंधी नीति दिशानिर्देशों को आशोधित करने के संबंध में मंत्रिमंडल के दिनांक 12 नवम्बर, 2009 को लिए गए निर्णय के अनुसरण में डाऊनलिक करने संबंधी दिशानिर्देशों के मौजूदा खण्ड 5.6 को इस प्रकार संशोधित किया गया है :

"5.6 आवेदक कम्पनी केवल केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत एमएसओ/केबल ऑपरेटरों अथवा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीटीएच दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत डीटीएच ऑपरेटर अथवा अपने मौजूदा टेलीकॉम लाइसेंस के तहत विधिवत रूप से अनुमति प्राप्त अथवा दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता अथवा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एचआईटीएस ऑपरेटरों के लिए जारी किए गए नीति दिशानिर्देशों के तहत इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए विधिवत रूप से अनुमति प्राप्त किसी एचआईटीएस ऑपरेटर को ही सैटेलाइट टीवी चैनल सिग्नल रिसेप्शन डिकोडर्स प्रदान करेगी।"

2. यथा-संशोधित डाऊनलिक करने संबंधी दिशानिर्देश जनसाधारण को सूचनार्थ मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

ह0/-

(जोहरा चटर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन : 23382597

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, दूरसंचार विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, अंतरिक्ष विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली।
7. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
8. सीईओ : प्रसार भारती, प्रसार भारती सचिवालय, पीटीआई बिल्डिंग, नई दिल्ली।
9. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली।